

MSME Samadhaan Delayed-Payment Complaint

दस्तावेज़ प्रकार : पत्र / नोटिस · तैयार किया गया 15 Oct 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

क्रेता से विलंबित भुगतान हेतु सूक्ष्म व लघु उद्यम सुविधा परिषद (MSEFC) के समक्ष MSME Samadhaan शिकायत — बीजक व स्वीकृति विवरण, MSMED अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित RBI बैंक दर के तीन गुना पर चक्रवृद्धि-ब्याज गणना, व राहत सहित यह टूल तैयार करता है। पूर्व-शिकायत माँग हेतु MSME Recovery Notice टूल नोटिस रचता है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

Udyam व क्रेता विवरण, बीजक/deemed-acceptance/नियत-तिथि तथ्य व धारा 16 ब्याज-गणना सहित MSEFC आवेदन तैयार करना।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

तैयार MSEFC आवेदन, deemed-acceptance तथ्य व चक्रवृद्धि-ब्याज गणना का उपयोग Samadhaan पोर्टल पर विलंबित-भुगतान शिकायत दाखिल करने, और मूलधन व ब्याज हेतु सुलह-फिर-मध्यस्थता प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए करें।

यह किसे दिया जाता है

आपूर्तिकर्ता-राज्य की सूक्ष्म व लघु उद्यम सुविधा परिषद (MSEFC), MSME Samadhaan पोर्टल (samadhaan.msme.gov.in) के माध्यम से; क्रेता प्रतिवादी।

कैसे जमा करें / दाखिल करें

Samadhaan पोर्टल पर आवेदन Udyam व क्रेता विवरण, बीजक व स्वीकृति/नियत-तिथियाँ, और मूलधन व गणित ब्याज सहित दाखिल करें; MSEFC सुलह व फिर मध्यस्थता लेता है।

इसकी जाँच किससे कराएँ

बड़े दावे या मध्यस्थता-चरण हेतु वकील या चार्टर्ड अकाउंटेंट; टूल द्वारा तैयार आरंभिक फाइलिंग व ब्याज-गणना दाखिल हेतु प्रायः पर्याप्त।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

दावा धारा 15 (45-दिन भुगतान नियम) व धारा 16 (RBI बैंक दर के तीन गुना पर मासिक-विश्राम चक्रवृद्धि-ब्याज) पर आधारित, और सक्रिय Udyam पंजीकरण आवश्यक; क्रेता सुलह पर गुणवत्ता/विवाद रक्षा उठा सकता है। यह मसौदा-सहायता है।

साथ के दस्तावेज़

इस टूल के लिए पोर्टल पर संबंधित दस्तावेज़ सूचीबद्ध नहीं हैं।

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।